राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 837वी बैठक दिनांक 07.03.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 837वीं बैठक दिनांक 07.03.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	प्राधिकरण का निर्णय
1	**Compliance of Hon,ble NGT order in O.A. 119/2023 (CZ) titled as "Mr. Nitin Saxena Vs. Urban Development and Housing Department & Ors.**	**परियोजना प्रस्तावक की प्रतिबद्धता को मान्य किया गया।**
2	**Compliance of order in Misleneous application no. 07/2023(CZ) titled as Dharmendra Gayakwad Vs. MPIDC Ltd. & Ors. Related to Original Application No.22/2022(CZ)**	पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित

(1). Compliance of Hon,ble NGT order in O.A. 119/2023 (CZ) titled as "Mr. Nitin Saxena Vs. Urban Development and Housing Department & Ors.

माननीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण के सन्दर्भ में प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु SEIAA द्वारा जारी कार्यालय पत्र कमांक 3210 दिनांक 06.03.2024 के निर्देशानुसार एम.के. साहू डिप्टी कमिश्नर, म.प्र. गृह निर्माण एवम् अधोसंरचना मंडल (परियोजना प्रस्तावक कार्यपालन यंत्री म.प्र. गृह निर्माण एवम् अधोसंरचना मंडल के अजय कटारिया ,अधिकृत वास्तुविद् अजय मोहन,ऋषि चौहान अधिकृत पर्यावरणीय सलाहकार, इन-सीटू इन्वायरो केयर, प्राधिकरण की अधिवक्ता श्रीमती पारुल भदौरिया प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 837वी बैठक दिनांक 07.03.2024 का कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड परियोजना विवरण एवं दस्तावेजों तथा SEAC मे प्रस्तुत की गयी जानकारी तथा बाद मे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी जानकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत सलाहकारों के माध्यम से परियोजना से संबंधित जानकारी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।

प्रकरण में चर्चा के दौरान के.एम.एल (KML) फाईल के विषमता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा संयुक्त समिति के समक्ष परियोजना के भविष्य में होने वाले पार्ट–2 के संबंध में भी प्रस्तुतीकरण किया गया था परन्तु परिवेश पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा पार्ट–1 (साईट–1, साईट–2) के पर्यावरण स्वीकृति के लिये ही आवेदन किया गया था। इसलिये संदेहवश संयुक्त समिति द्वारा डिविएशन होना बताया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माननीय संयुक्त समिति के समक्ष किसी प्रकार की जानकारी को छिपाया नहीं है।उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पार्ट –2 योजना अभी मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं है यह मात्र अभिकल्पना है, इसका सैद्धांतिक अनुमोदन उपरांत वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जावेगा।

प्रकरण में चर्चा के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति का आवेदन करते समय परियोजना अन्तर्गत 390 पेड़ काटा जाना प्रस्तावित था। वर्तमान में सर्वे उपरान्त ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को परियोजना की प्रस्तावित योजना में बदलाव कर पेड़ो को काटने से बचाने के लिए रूपांकन में आवश्यक परिवर्तन किये गए है। जैसे परियोजना के अधिकतम क्षेत्र में योजना में पेड़ों को बचाने हेतु प्रस्तावित फुटपाथ क्षेत्र में रखा गया है जिससे पेड़ रोड के किनारे यथावत बने रहेंगे। साथ ही जिन पेड़ो को काटना आवश्यक होगा उन्हें आधुनिक तकनीकी के माध्यम से प्रत्यारोपित किया जायेगा। इन प्रत्यारोपित पौधों की देखभाल हेतु तीन वर्षों का रख रखाव का भी प्रावधान किया जावेगा जिससे पेड़ो को काटने के बजाये पेड़ो का संरक्षण संभव होगा।

संयुक्त समिति द्वारा वेटलैण्ड रुल के परिपालन के संबंध में उठाये गये मुददों के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा वेटलैण्ड रुल 2017 तदानुसार मध्यप्रदेश पर्यावरण विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.03.2022 का पूर्ण रुप से पालन किया जायेगा एवं रामसर साईट वेटलैण्ड लोअर लेक के एफ.टी.एल. से 50 मीटर तक किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।

एम.पी. सिया द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 17.07.2023 में निम्नानुसार शर्त अधिरोपित है -

"B.I (i) *The project proponent shall obtain all necessary clearance /permission from all relvant agencies including NBWL/ESZ and town planning authority before*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

commercement of work. All the construction shall be done accordance with the local building byelaws"

उक्त शर्त के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचित किया गया इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है एवं राज्य स्तरीय वेटलैंड प्राधिकरण से भी नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त की जा रही है। साथ ही यह ही सूचित किया कि प्रस्तावित भवन के नियोजन में भी वेटलैंड रूल्स का पालन किया गया है।

प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दिनांक 11.03.2024 को सुनवाई नियत है इसके पूर्व प्राधिकरण को जबाव प्रस्तुत करना है अतएव परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार बिन्दुओं पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया :-

1. MPSEIAA के प्रकरण क्र. 9800/2023 पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति कलेक्टर काम्पलेक्स एवं प्रोफेसर कालोनी के प्रकरण में म.प्र. हाउसिंग बोर्ड द्वारा परिवेश पोर्टल पर UPload kml File के अनुसार 8 (a) में प्राप्त अनुमति के अनुसार ही निर्माण किया जावेगा।
   उक्त निर्माण पर्यावरण स्वीकृति अनुसार साईट–1 एवं साईट – 2 पर कुल निर्मित क्षेत्रफल (Built up) 1,41,545 Sqm. के लिए होगा।
2. परियोजना में भोज वेट लैण्ड (रामसर साईंट) Lower Lake के FTL से छोड़े जाने वाला 50 मी. नो कंस्ट्रक्शन जोन में परियोजना अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रस्तावित निर्माण का अवधारणा मानचित्र संलग्न कर प्रस्तुत है।
3. हमारे द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्माण के पूर्व सभी वैधानिक संस्थाओं से वैधानिक अनुमति ली जावेगी जैसे संचनालय नगर तथा ग्राम निवेश, (T&CP) नगर निगम, स्टेट वेट लैण्ड प्राधिकरण इत्यादि एवं Local By Laws का भी पालन किया जावेगा।
4. पर्यावरण स्वीकृति में जारी की गई समस्त शर्तों का पालन किया जावेगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रतिबद्धता को मान्य करते हुए माननीय हरित अधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत किये जाने वाले प्रारूप पर प्रकरण के अधिवक्ता के साथ चर्चा उपरांत अनुमोदन किया गया।

(2). Compliance of order in Misleneous application no. 07/2023(CZ) titled as Dharmendra Gayakwad Vs. MPIDC Ltd. & Ors. Related to Original Application No.22/2022(CZ)

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 14.03.24 को नियत है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा दिनांक 13.10.23 को पारित आदेशानुसार मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त गैप एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार दोनों प्रकरणों पर पुनः विचार करते हुए Action taken रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

उक्त आदेश के परिपालन में उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से शीघ्र कार्यवाही हेतु सूचित किया जा चुका है, परन्तु आज दिनांक तक कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त Gap Analysis के प्रकाश में विषयान्तर्गत प्रकरण का निराकरण तत्काल करने हेतु, SEAC से प्राथमिकता पर विचार कर अनुसंशित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गए । उक्त क्रियान्वयन प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण में जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक 14 मार्च 2024 है। अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जवाब के उपरांत प्राधिकरण को जवाब देना होगा वर्तमान में प्राधिकरण में Gap Analysis के सम्बन्ध में प्रचलित कार्यवाही की सूचना माननीय हरित अधिकरण को दी जा चुकी है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष